सर्वोच्च प्राथमिकता/अति गोपनीय
संख्या:-3017 आर/6-पु0-5-99

प्रेषक,

वी0के0मित्तल,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
उत्तर प्रदेश।

(पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ:दिनांक 15 मई, 1999

विषय:-व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंसों का दुरूपयोग न किया जाना।

महोदय,

कुछ स्थानों से शस्त्र लाइसेंसों के दुरूपयोग के समाचार प्राप्त हुए हैं। शस्त्र लाइसेंस व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु प्रदान किये जाते हैं। लाइसेंसी का यह दायित्व है कि वह कोई ऐसा कृत्य न करे, जो अन्य व्यक्तियों के लिए हानिकारक अथवा असुविधाजनक हो।

2- आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकृत किये जाते है इनका प्रयोग शादी-विवाह अथवा सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए ऐसा किये जाने से जनता में भय का वातावरण व्याप्त होता है जो व्यक्ति शस्त्रों का प्रयोग प्रदर्शन हेतु अथवा जनता में भय व्याप्त करते हुए पाये जाये उनके शस्त्र लाइसेंस को लाइसेंस की शर्त संख्या-5 का उल्लंघन करने के आरोप में एवं 'शस्त्र अधिनियम' की धारा 17(3) (बी), (डी), (ई), के अधीन तत्काल निरस्त करने हेतु विधिक कार्यवाही की जाये।

3- एक अभियान चलाकर ऐसे व्यक्तियों के लाइसेंस भी निरस्त करने की कार्यवाही की जाये जो अपराधिक छवि के हैं तथा जिनके द्वारा शस्त्र लाइसेंस का दुरूपयोग सम्भावित है।

4- अभियान की प्रगति से शासन को दिनांक 1.6.1999 को निम्नानुसार अवगत कराया जाये:-

क- जनपद में कुल शस्त्र लाइसेंस की संख्या
ख- जॉच किये गये लाइसेंसों की संख्या
ग- अभियान में निलम्बित लाइसेंस
घ- प्रकरण जिनमें एफआईआर दर्ज की गई

5- अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जाये कि शान्तिप्रिय नागरिकों और लाइसेंस धारकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

भवदीय,
(वी0के0मित्तल)
प्रमुख सचिव

संख्याः- 3017 आर(1)/6-पु0-5-99-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक,जोन उत्तर प्रदेश।
4. पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(अतुल कुमार)
संयुक्त सचिव।